कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार

संख्याः- 204 /खनन सहा0(नीलामी)/2020 दिनांक:- 15 फरवरी, 2020

अल्पकालीन सार्वजनिक नीलाम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 4-5/10.2019 की मध्यरात्री से दिनंाक 27-28/10.2019 की मध्यरात्री तक वार्षिक अनुरक्षण हेतु बन्दी के दौरान निकले उपखनिज, जिनका विवरण निम्न प्रकार है, की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक 24.02.2020 को अपराह्न 3.00 बजे अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय/कार्यालय कक्ष, कलेक्टेªट, रोशनाबाद हरिद्वार में होगी।

क्र0सं0	नाम स्थल जहाँ उपखनिज स्थित है	उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में) एवं प्रकार	रायल्टी की दर पर अतिरिक्त शुल्क 17 प्रतिशत सहित मूल्यांकन (रूपये में)	जिला खनिज फाउन्डेशन जमा होने वाली धनराशि (रूपये)
3	पथरी पावर हाउस के अपस्ट्रीम साईड (मैटेरियल- सिल्ट/सैण्ड)	11648.50 घनमीटर रेत	2098827.00	448467.00

नीलामी की शर्तेः-

1-बोलीदाता के पास वैध चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिये।
2-बोलीदाता को स्ट्रैच के लिए प्रारूप/आवेदन भरना होगा।
3-नीलामी के समय बोलीदाता को उपखनिज के अनुमानित मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि का केवल बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी हरिद्वार के नाम बयाना धनराशि के रूप में जमा करना होगा। नकद धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
4-सर्वाधिक बोलीदाता को छोड़कर अन्य बोलीदाताओं के जमा बैंक ड्राफ्ट नीलामी होने के उपरान्त नीलाम समिति द्वारा वापस कर दिये जायेगें।
5-उपरोक्त उपखनिज की नीलामी से प्राप्त राजस्व पर राजकीय कर का नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा पृथक से सम्बन्धित विभाग को भुगतान किया जायेगा।
6-नीलाम प्राप्तकर्ता को उपरोक्त उपखनिज की नीलामी की धनराशि का 1/4 भाग उसी दिन एवं अवशेष धनराशि को कार्यादेश प्राप्ति के दो दिन की अवधि के अन्दर जमा किया जायेगा।
7-नीलामी प्राप्तकर्ता उपखनिज जो है, जहाँ है, जैसा है की स्थिति में नियमानुसार स्वयं निस्तारित करेगा।

8-नीलाम स्वीकृति की दिनांक से एक माह के भीतर अथवा अनुज्ञात उपखनिज की मात्रा की निकासी (जो भी पहले हो) कार्यालय उप निदेशक(खनन)/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, कलेक्टेªट परिसर रोशनाबाद, हरिद्वार से प्राप्त ई-रवन्ना(एम0एम0-11) के आधार पर की जायेगी।

9-नीलामी प्रक्रिया के बाद उपखनिज की चोरी एवं खुर्दबुर्द होने के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

10-नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा उपखनिज की निकासी सूर्योदय एवं सूर्यास्त तक ही की जायेगी ।

11-नीलामी प्राप्तकर्ता सिंचाई विभाग की निगरानी में उपखनिज की निकासी का कार्य करेगा।

12-यदि उपखनिज निकासी करते समय नहर सरंचना को कोई क्षति पहंुचती है तब उसकी क्षतिपूर्ति नीलाम प्राप्तकर्ता द्वारा की जायेगी।

13-उपखनिज की निकासी करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि सार्वजनिक मार्ग अवरूद्ध न हो एवं जनसमान्य को असुविधा न हो।

14- उक्त उपखनिज की न्यूनतम बोली, नीलाम समिति द्वारा नीलामी के समय निर्धारित की जायेगी।

15-अन्य शर्ते यदि कोई होगी तब उन्हें नीलामी स्थल पर नीलामी की दिनांक को सूचित कर दिया जायेगा।‘‘

अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)
अध्यक्ष, नीलाम समिति,हरिद्वार।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि- 1-जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त नीलामी सूचना को वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

2-उप जिलाधिकारी, हरिद्वार/रूड़की/लक्सर/भगवानपुर/उप निदेशक(खनन)/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार/नाजिर सदर, कलेक्टेªट, हरिद्वार को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

3-सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला/दैनिक, जागरण को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति शासकीय दर पर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराते हुए एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए बिल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी (वित्त /राजस्व)
अध्यक्ष, नीलाम समिति,हरिद्वार।